

## बिल का सारांश

### अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार का निवारण) संशोधन बिल, 2018

- सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्री थावरचंद गहलौत ने 3 अगस्त, 2018 को लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार का निवारण) संशोधन बिल, 2018 पेश किया। बिल अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार का निवारण) एक्ट, 1989 में संशोधन का प्रयास करता है। एक्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों को प्रतिबंधित करता है और ऐसे अपराधों की स्थिति में ट्रायल के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करता है। साथ ही पीड़ितों के पुनर्वास का भी प्रावधान करता है।
- 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक्ट के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध के आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की मंजूरी लेनी होगी। इसके अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) यह पता लगाने के लिए शुरुआती जांच कर सकता है कि क्या एक्ट के अंतर्गत प्रत्यक्ष दृष्टया मामला (प्राइमा फेसिया केस) बनता है।
- बिल कहता है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जांच अधिकारी को किसी अथॉरिटी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त बिल में प्रावधान है कि एक्ट के अंतर्गत आरोपित किसी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के लिए शुरुआती जांच की जरूरत नहीं होगी।
- एक्ट में प्रावधान है कि एक्ट के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध के आरोपी व्यक्ति अग्रिम जमानत की पेशकश नहीं कर सकते। बिल स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि अदालत के फैसलों या आदेशों के बावजूद यह प्रावधान लागू होगा।

**अस्वीकरण:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूप या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।